

[Mr. Deputy-Speaker]

are several questioners and I think the Home Minister will also take about ten minutes. The hon. Member should be brief.

Shri Shri Chand Geol (Chandigarh):
I will not take more than 15 minutes.
17-23 hrs.

ARBITRATION ON CHANDIGARH

श्री जीराम महोदय (चण्डीगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की यह डिबेट 24 मई को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 37 में से उत्पन्न होती है, जिसमें चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या हरियाणा की सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के मध्यस्थ निर्णय को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है तथा इनके बाद यह धारणा इस प्रश्न पर क्या विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चण्डीगढ़ राजधानी के रूप में 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात् बसाई गई। उस समय यह कल्पना थी कि यह राजधानी सम्पूर्ण पंजाब के लिये उपयोग में आवेगी और उसकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगी। उस समय भारत सरकार से बहुत बड़ी रकम खर्च के रूप में लेकर इन नगरी की स्थापना की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कभी यहाँ जाने का अवसर मिला होगा तो आपने देखा होगा कि यह एशिया का एक सबसे सुन्दर और उत्तम नगर है, लेकिन उस चण्डीगढ़ के अधिक के ऊपर एक तमवार बटकाई जा रही है, आज जब उनके अधिक के सम्बन्ध में चण्डीगढ़ के नागरिक विभ्रित हैं। चण्डीगढ़ में बटवारे का भी मुद्दा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके विचारसरण करबुकिंगर ने इस को एक इन्सानो जरीर के मुताबिक बनाया है जिसको घाब दुकानों में तकलीफ नहीं किता जा सकता। उन्होंने इसके को सरकारी बज्तर हैं, वहाँ का विज्ञान सजा खन है, वहाँ की हाईकोर्ट विभिन्न हैं, इसके जरीर के निर के रूप में रखा है। आज मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि जब पंजाब के

जुनरुंठन का प्रश्न दोबारा अपने देश के सामने धारा तो उस समय कांग्रेस बकिंग कांग्रेस के निर्णय के अनुसार जब भारत सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि पंजाब का जुनरुंठन करना है तो उस समय उन्होंने यह धारणा रिया था कि 1961 की जनगणना के जो आंकड़ें हैं, जिनको सैनस के रजिस्ट्रार ने ठीक माना है, जिन को कि भारत सरकार ने ठीक माना है और जिनको उस सीमा धायोग में दुस्त मान कर यह करार रिया कि चण्डीगढ़ में 73.3 प्रतिशत जो जनता है, यह हिन्दी भाषी है और इसी प्रकार के जो चण्डीगढ़ में रहने वाले विद्यार्थी हैं, जिन्होंने मित्र भिन्न परीक्षाओं में, चाहे मैट्रिक हो, मिडल हो, या दूसरी परीक्षाओं में, में हिस्सा लिया है, उस में हिन्दी को माध्यम के रूप में माना है, उनकी मध्या 70% है। जब सीमा धायोग ने इन दोनों धारणों पर धपना निर्णय रिया कि चण्डीगढ़ हरियाणा को रिया जाये, लेकिन उस समय के कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस का विरोध हुआ, तब भारत सरकार ने चण्डीगढ़ के मामले पर दो दिन तक कैबिनेट में विचार किया और विचार करने के बाद केन्द्र जामिन लेज बनाने का निर्णय रिया, चूकि उस समय चण्डीगढ़ में बहा की नागरिक सभा का एक लिष्टमंडल धारा था और उस में भी अपने केस के बारे में प्रबलन मंत्री ने यह धारणा की थी कि इस को केन्द्र प्रजासित लेज बना रिया जाय। उस समय की नागरिक सभा के लिष्ट मंडल की धायनाओं का धावर करते हुए यह निर्णय रिया गया कि चण्डीगढ़ को केन्द्र प्रजासित लेज रखा जाय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उस समय इस लोक सभा के धावर ह्यारे जो नूतनूयं नूह बंकी हैं थी मन्दा थी उन्होंने चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में 6 सितम्बर, 1966 का दिन पेश करते हुये, कहा था—

"So far as Chandigarh is concerned, it had been conceived, planned and designed for the

purpose of serving the entire area, the Hindi region and the Punjabi region, and hence it is so situated that now, when the need is there, it can serve effectively as the capital of both the States of Haryana and Punjab as they are being created now."

उस के बाद सदन में बहस का उन्होंने जवाब दिया, ता भी उसी बात की पुष्टी की। उस जवाब की तरफ भी मैं सदन का ध्यान दिखाना चाहता हूँ। नन्दा जी ने कहा कि—

"So far as Chandigarh is concerned, let there be no more argument about it. It has been settled, accepted, and there is no way now except to re-open the whole thing; that may mean delay; we know how long it will take again to reconsider the whole thing; giving it to some other Commission, going into all these things once again, it is not possible. Therefore, let us not argue about these things. Let us take it in good spirit. Maybe that some persons may feel that Punjab has a better claim than Haryana. On the other hand, the Haryana people may say, "Here was a majority recommendation in our favour; why have you departed from that at all?" So it is good enough as it is. It serves our purpose; it serves the purpose of Haryana and Punjab to have the capital there. It is also an economical arrangement which is going to be in the interests of all concerned."

उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी कि सब की जगह और हित इसी बात में है कि चण्डीगढ़ केन्द्र प्रस्तावित-इलाका रहे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उस समय जो हमारे चण्डीगढ़ के मेम्बर-पार्लियामेंट थे—श्री धर्मराज विद्यालंकार—उन्होंने भी इसी पोजीशन को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था—

"With regard to common links, I think it is better that at Chandigarh many common links should

be retained. I conceive that Chandigarh should in course of time become the centre for Himachal Pradesh, for Jammu, for Punjab and for Haryana, and it should become a big centre, and a centre of important activities, for instance, educational activities for the benefit of all the people of this area. That is my concept of Chandigarh, and that is possible if Chandigarh is developed in that manner with the co-operation of all. It should belong to all, and it should become a common heritage. I think that would be the best solution and I hope the Centre will make all the necessary arrangements with regard to that."

यह उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह प्रश्न दोबारा क्यों खड़ा हुआ है? संत फतह सिंह ने फिर ये जल मरने की धमकी दी थीर उन्होंने कहा कि चण्डीगढ़ नगर पंजाब की नहीं मिलेगा तो मैं आत्मघात करूँगा। उस समय पुनर्विचार हुआ। उस समय पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस की सरकारें थी, दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस सम्बन्ध में मध्यस्थ के तौर पर अपना निर्णय दें और उनका वह निर्णय स्वीकार होगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दोनों मुख्य-अधिकारियों की यह कमिटेन्ट व्यक्तिगत रूप में थी, न उन्होंने विधान सभा से स्वीकृति ली थीर न उन्होंने उस समय की कैबिनेट से परामर्श किया और व्यक्तिगत रूप में ही यह चीज स्वीकार की।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ एक पिछले प्रान् बुनाबों का सम्बन्ध है, वे बुनाब चण्डीगढ़ के प्रविष्य के मतभेद को लेकर लड़े गए थे। उन समय मैंने यह पोजीशन ली थी कि चण्डीगढ़ केन्द्र-असाहित होत रहे। कांग्रेस की तरफ से जो इम्पीच-यार खड़े किये गए, वह पंजाब के खिला

[बी बी चन्व घोषण]

बनी रह चुके थे, दो बार लोक सभा के तबस्य रह चुके थे और पंजाब कांग्रेस के तबस्य माने जाते थे। उस के साथ साथ धकानी उन ने स्वतंत्र पार्टी के साथ मेल कर के अपना प्रत्याज्ञी खड़ा किया और उस का स्टैंड यह था कि चंडीगढ़ को पंजाब का देना चाहिए। इस के प्रतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया। लेकिन उस चुनाव में इन तीनों उम्मीदवारों को कुल मिला कर जितने वोट मिले, उस से कहीं ज्यादा वोट मुझे धकानी को मिले और इस प्रकार चंडीगढ़ के नागरिकों ने स्पष्ट रूप से अपना यह मत प्रकट कर दिया कि चंडीगढ़ एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र ही रहना चाहिए।

आज मेरी समझ में यह नहीं आता है कि स्थिति में कौन सा परिवर्तन आ गया है। जब प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सालिसी, मध्यस्थ निर्णय को हरियाणा सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है और जब हरियाणा की विधान सभा ने यह प्रस्ताव पास किया है कि वह उन के मध्यस्थ निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना प्रधान मंत्री को झुले रूप में और असद्विध भ्रष्टों में यह घोषणा करनी चाहिए कि अब वह मध्यस्थ बन कर चंडीगढ़ के विषय में कोई निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है।

मैं यह करना चाहता हूँ कि कप्तान जे.ए. सिंह आज बड़ी विचित्र पोजीशन में रहे हैं। एक तरफ तो ब. 5 रहें हैं कि झुले प्रधान मंत्री की तरफ से शाखासन मिला है और यह कि सरकार हुकम है उन को बकीन दिलाया था कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलेगा और दूसरी तरफ वह कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी मध्यस्थ बन कर चंडीगढ़ के बारे में निर्णय दें। मैं समझता हूँ कि शाखासन और मध्यस्थ निर्णय में दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। उन को एक पोजीशन लेनी चाहिए

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज

न पंजाब इस प्रश्न में है कि वह करोड़ों रुपये खर्च कर के एक नया नगर बसा तक और न ही हरियाणा इस प्रश्न में है। इस लिए आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब और हरियाणा के नगर वहाँ ही रहें, दोनों प्रदेशों का एक सांझा हाई कोर्ट वहाँ रहे और अगर दोनों की प्रलय प्रलय हाई कोर्ट बननी है, तो वे दोनों वहाँ रहे। इसी प्रकार विध्व-विधालय और अन्य सब सांझी संस्थाएँ वहाँ रह कर पंजाब और हरियाणा दोनों की सेवा करे। मैं समझता हूँ कि आज चंडीगढ़ ने लोगों के मनो में उस के भविष्य के बारे में जो भ्रम है, केन्द्र को झुले तौर पर उस को दूर करना चाहिए और भूतपूर्व गृह मंत्री श्री मन्दाजी द्वारा चंडीगढ़ के लोगों को धमकाने वाले जो भरोसा दिलाया गया था, उस पर कायम रह कर यह घोषणा करनी चाहिए कि चंडीगढ़ केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र रहेगा। चंडीगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में, चंडीगढ़ ने लोगों को भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने हुए, मैं बल के साथ कहना चाहता हूँ कि आज केन्द्र की तरफ में लोगों को यह आशा मान मिनता चाहिए।

श्री. प्रकाशचर शारमा (हापुड)
शाह कमीशन ने हरियाणा की पिछड़ी हुई स्थिति और पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा के प्रति किये गए पक्षपात को दृष्टि में रख कर अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष की थी कि चंडीगढ़ को हरियाणा की राजधानी बनाया जाये। कमीशन ने इस बात को भी अपने ध्यान में रखा कि पंजाब के पास पटियाला जैसा नगर है, जो कि पेप्सू की राजधानी रह चुका है। केन्द्रीय सरकार ने यह नाबानी की कि जब ने शाह कमीशन के इस प्र.र के बुद्धिमतापूर्ण निर्णय पर अपनी समझ लगाई कि चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाया जाये, जिस से फिर एक संघर्ष का प्रारम्भ हुआ। मैं गृह मंत्री महोदय से यह जाना चाहता हूँ कि किसी विध्व पर पार्लियामेंट का निर्णय हो जाने के बाद क्या किसी सरकार को इस बात का

अधिकार है कि पार्लियामेंट की अनुमति के बिना प्रधान मंत्री को उस विषय पर पंच-निर्णय करने की अनुमति दे और नया दिल्ली प्रधान मंत्री को यह अधिकार है कि वह बीच में आकर पंच बन जाये।

यै यह जानना चाहता हू कि प्रधान मंत्री और सन्त फ्रोह सिह की कल-परसो जो मुलाकात हुई है, क्या उन में प्रधान मंत्री ने सन्त फ्रोह सिह को कोई इस प्रकार का गुप्त आश्वासन दिया है, जो हरियाणा के हितों पर आघात करने वाला है और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ इन तीनों के सम्बन्ध में फिर नये विदे से एक सन्धि स्थिति पैदा करने वाला है।

Shri G S Dhillon (Taran Taran) Sir, as I understand from the hon. Member Shri Goel's speech, he has been making out a case for a Union Territory Shri Shastri has made out a case for Haryana I want to ask whether it is not a fact that the surrounding areas of Kharar Tehsil in which Chandigarh is situated in the very centre was not a part and parcel of the erstwhile region known as Punjabi Region? Secondly, a case was made out that there was a preponderance of urban Hindi population. But is the hon Member not aware that in 1961 census this urban percentage was taken not in the unit of Chandigarh as a single unit but Kharar, Manu Majra, Kalka and Ambala taken together?

श्री रघुबीर सिंह (रोहतक) बिपुटी स्पीकर साहब, हमारे लिए—हरियाणा के लिए—चंडीगढ़ का सवाल एक खुददारी का सवाल बन गया है और सन्त फ्रोह सिह के स्टेटमेंट्स हरियाणा के लिए एच चलेज हैं। हमें मुख्यमन्त्रि विश्वास है प्रधान मंत्री की आरबिट्रेशन पर और हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री इन बारे में आरबिट्रेशन करें। हमें उन पर पूरा एतकाव है और हमें पूरी उम्मीद है कि वह ठीक आरबिट्रेशन करेंगी।

श्री प्रकाशचोर शास्त्री यही तो माननीय सदस्य की गलती है।

श्री रघुबीर सिंह मैं यह पूछना चाहता हूँ क्या सरकार सन्त फ्रोह सिह के प्रेराइजेशन और ब्लेकमेलिंग में, जो वह हमेशा करता रहा है, तो नहीं धायेगी और इस तरह आरबिट्रेशन से मुकर तो नहीं धायेगी।

फ्रॉं कीजिए कि आरबिट्रेशन नहीं होना है, क्योंकि दोनो स्टेट्स में नान-आर्थिस गवर्नमेंट्स हैं और इस बारे में उन दोनो के मतबादस्टेंड हैं। उस हालत में एक जूडिसियल ट्राइब्यूनल का जो फंसला है, जिन के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, क्या हमारे नेता और होम मिनिस्टर उस फंसले को टूटो और इम्प्लीमेंट करेगे या नहीं ?

अगर उस फंसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो क्या होम मिनिस्टर साहब और गवर्नर चंडीगढ़ और उस के गउड एबाऊट एरिया में, जो हिन्दी स्पाकिंग एरिया है, रिफेडम करने की बात मन्ने ?

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री, (बागपत) मैं यह पूछना चाहता हू कि जब पंजाब का विभाजन थावा के आघात पर हुआ तो पंजाब चंडीगढ़ के बारे में निर्णय करने के लिए और कौन सा आघात है। क्या सरकार की यह कमजारी नहीं है कि इस प्रश्न को बार-बार रिप्रोपोज किया जा रहा है ? क्या सरकार कमी इस परम्परा से निकलना चाहेगी कि जो कोई समस्या उस के सामने आती है, वह उस को उलझाए जाती है और बोझ सा दबाव पड़ते ही उस को रीलीपन कर देती है ? जब कमी कोई ऐसा प्रश्न आता है, तो सरकार कहती है कि लोकतन्त्र में लोगों की बात सुनी पडती है। बार-बार विचार करना पडना है। अगर सरकार वास्तव में लोकतन्त्रकी हाथी है, तो यह क्यों नहीं हिम्मत के साथ चंडीगढ़ के लोगों से पूछती है कि आघात से क्या चाहते है ? अगर सरकार में हिम्मत है और वह हिम्मत

[श्री रघुबीर सिंह शास्त्री]

के साथ कोई कैंसला ने सकती है, तो वह इस बारे में बंटीगढ़ के लोगों की राय पूछे। इस तरह सरकार का भी पीछा छूट जाता है और प्रधान मंत्री का पीछा भी छूट जाता है। यह सरकार नागालैंड के लोगों की राय पूछना चाहती है, मिजो लोगों की राय पूछना चाहती है। तो फिर वह बंटीगढ़ के एक लाख पढ़े-लिखे लोगों को क्यों नहीं पूछती है कि वे क्या रहना चाहते हैं? साथ न्याय और लोकतंत्र का तकाबा यही है कि इस प्रश्न को प्रौर उलझाने के बजाय सीधा बनाया जाये और बंटीगढ़ के अधिव्य के बारे में वहाँ के लोगों से पूछा जाये।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur). I think our Government has specialised in unsettling settled question. When the Punjab Reorganisation Bill was passed, Sir, you will remember it very well, it was decided that Chandigarh should be a Union Territory. The whole House approved of it. This was a decision which was taken after full, thorough and healthy discussion. Now may I know why it is that again this question has been re-opened and why it is that it is again being discussed, especially when the people have also given a verdict in favour of retaining Chandigarh as a Union Territory, because I know that the hon. Member who has been returned to Lok Sabha from Chandigarh fought his election on the issue that Chandigarh should remain a Union Territory. Therefore, I want to know what is the need for changing the stand on the part of the Government, when the people have expressed themselves in favour of Chandigarh as a Union Territory, when Parliament has expressed itself in favour of Chandigarh as a Union Territory, when the whole of Punjab wants that Chandigarh, which is an international show-piece, should not belong to this part or that part but should remain a single undivided unitary unit to project the image of India abroad.

श्री आर्य कर्मेन्दोब (बम्बई प्रतिनिध) :
अध्यक्ष महोदय, मैं बृह संसदी शी का ध्यान

आज के सचकारों में आई हुई खबर की प्रौर साकमित कर के फिर प्रश्न पूछना चाहूंगा। यह आज का बम्बई का पीपुल्स जर्नल है। इस में बंटीगढ़ के बारे में आई हुई यह खबर है:

"Akali leader, Sant Fateh Singh today asked Prime Minister Indira Gandhi to arbitrate on Chandigarh at the earliest, irrespective of the stand taken by the Haryana Government, and asked the Haryana Government not to go back on its commitment on the issue. . .

Talking to newsmen, Sant Fateh Singh said they had accepted arbitration on Chandigarh 'because the Prime Minister had been telling the various deputations meeting her that Chandigarh belonged to Punjab' "

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस एक वाक्य को पढ़ूंगा :

" they had accepted arbitration on Chandigarh 'because the Prime Minister had been telling the various deputations meeting her that Chandigarh belonged to Punjab' "

He also urged the Prime Minister to appoint a committee or a commission to go into the question of other Punjabi-speaking areas, as had been promised by Shri Hukam Singh."

तो मेरा प्रश्न इस बात के ऊपर सिर्फ इसका ही है अध्यक्ष महोदय कि बुकि इस किसके राजनीति में पड़े हुए लोगों को असम असम करत असम असम किसके साक्षात्कार ऐसे करते हैं और कभी कभी इस मामले में उन की ईमानदारी के बारे में भी बीच-बीच में पूछ कर लेते हैं और साथ साथ ही इस मामले पर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के बारे में प्रश्न क्या तो इन सभी चीजों को नज़रबंद रखते हुए क्या अभी महोदय इस बात के ऊपर कोई

के लिए तैयार है कि सीमाओं के बारे में या दो राज्यों के बारे में किसी भी बतर्क को लेकर जो बहसें हुआ करते हैं इन चीजों को मिटाने के लिए वह एक परामर्श कमीशन होनेवा के लिए बनाये के लिए तैयार है या क्या इस दृष्टि से वह सोच रहे हैं क्या?

श्री श्रीमन्त बन्धु वर्मा (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब चंडीगढ़ का मामला खेटिल हुआ था तो उस वक़्त हिमाचल प्रदेश से यह यांग की थी कि चूंकि पंजाब के कुछेक हिस्से हैं एक हरयाना, एक पंजाब और एक हिमाचल प्रदेश तो हम ने यह कहा था कि हिमाचल प्रदेश को भी चंडीगढ़ का हिस्सा दिया जाय। तो जनाब, मैं किन्हीं बहुत बुराबा आहूता हूँ इस प्रश्न में कि अगर चंडीगढ़ को बाटने का कभी मामला कोई आया तो हमने हिमाचल प्रदेश का हिस्सेदार समझा जायगा या नहीं ?

दूसरी श्रृंखला में यह है कि अगर चंडीगढ़ का मामला फिर से खूज गया तो क्या हिमाचल प्रदेश के साथ भी इसका है जिन के बारे में बाउंड्री कमीशन ने भी कहा था कि तहसील ऊना का कुछ हिस्सा हमारे पास है, उस का बाकी हिस्सा, चारकला आक तहसील पठानकोट और कालका को क्या हिमाचल प्रदेश को देने के लिए विचार होया या नहीं ?

श्रीमन्त बन्धु वर्मा : यह श्रृंखला करना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ को भीर युनिवर्सिटी डेपेंडरी न रखा गया तो हिमाचल प्रदेश उस का सब से पहले हकदार है क्योंकि जो कब्जा हुआ उस में 19 हजार वर्गमील पंजाब को गया है, 17 हजार वर्गमील हरयाना को गया है और 11 हजार वर्गमील हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो इसी प्रोपोर्शन से चंडीगढ़ का इसका भी हिस्से दिया जायगा या नहीं बिना जायगा, इस पर विचार किया जायगा या नहीं ?

श्रीमन्त बन्धु वर्मा (Ludhiana):
Mr. Chief-Justice made out a case for
1950 (a) L.S.—21

Chandigarh to remain as a Union territory because he won the election on the platform that Chandigarh should remain a Union territory. I am sorry, Sir, the general election is not of the character of a referendum which is held on a single issue; general election is fought on a number of issues and his stand—I do not know; I was never a party to that election—that Chandigarh should remain a Union territory may have been one of them. I want to point out that the people who inhabit Chandigarh hail, a vast majority of them, from Punjabi-speaking areas.

Shri Randhvir Singh: No, no.

श्रीमन्त बन्धु वर्मा : Even urban Hindus, as they have been classified, had from Amritsar, Jullundur, Ludhiana and other Punjab towns. I would like to ask if the 1961 census is to be taken as an index of truth in Punjab regarding the language, then would the kind of division that was made of Punjab during re-organisation be justified. I am confident that there is no doubt in anybody's mind that people who inhabit Jullundur, Ferozepur, Amritsar, Hoshiarpur etc. are Punjabi-speaking people. I want to ask: Is hypocrisy or barefaced lying going to be the foundation of our democracy? If we know that the 1961 census was not based on what we should call an honest opinion of the people....

श्रीमन्त बन्धु वर्मा : The half an hour is almost over.

Mr. Deputy-Speaker: No argument please; put a question.

श्रीमन्त बन्धु वर्मा : Then the argument that the people who live in Chandigarh, since some of them say that their mother tongue is Hindi and, therefore, Chandigarh should be taken away from Punjab, would that argument hold water?

Mr. Deputy-Speaker: Shri Kanwar Lal Gupta. Just a question, no process. It is already six o'clock.

श्री अंडर साल नुफ (विन्नी सचर)
 अध्यक्ष महोदय, संयुक्त पंजाब में जो कांघस
 का मंत्रि-मंडल रहा है वह हमेशा यह कहता
 रहा है कि पंजाब के टुकड़े नहीं होंगे।
 लेकिन भारतक वायलेंस इसीसेट्स के दबाव
 में आकर के दो टुकड़े करना मान
 लिया गया और सीमा प्रायोग निश्चित
 हुआ। उस ने अपना यह फैसला दिया कि
 चंडीगढ़ हरयाने में रहना चाहिए। लेकिन
 उसके बाद भी, वास्तव में उस चीज को
 मान लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी
 फास्ट, मरम बल, उपद्रव जलने जलाने का
 जो निश्चय हुआ उस तरह की घमकियों
 में आकर के भारत सरकार ने एक गलत
 परम्परा फिर शाली वायलेंस के प्रागे झुकने
 और अपनी बात छोड़ देने की और
 उस सिद्धान्त को मान कर फिर दोबारा
 चंडीगढ़ के इम्पू को खोला गया और दोनो
 प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की सभ्य पर
 प्रधान मंत्री को मानना पडा कि वह चंडीगढ़
 के सवाल को फिर देखेंगी। अब नैरहासेली
 सरकार हरयाना में बन गई तो,
 (अध्यक्षान). मेरे लिये चंडीगढ़ हरि-
 याना में रहे वा पंजाब में जाय यह कोई
 प्रश्न नहीं पैदा होता क्योंकि साण देश
 मेरे ध्यान से एक है। मैं कोई नेव उभरने नहीं
 समझता। लेकिन चीज यह है कि हर चीज
 शान्ति से तय होनी चाहिए। वायलेंस से कोई
 भी चीज तय नहीं होनी चाहिए।

तीसरी चीज यह कि आखिर हमने
 क्या किड का है क्या उसके फैसले हैं वह
 सब चीज मानने का मर्द है और पोलिटिकल
 आदमियों को इस आखिरेकान में नहीं माना
 चाहिए, यह सब चीज ध्यान में रखने
 हुए..... (अध्यक्षान).....
 मुझे कहने दीजिए मैं कोई नम्बी चीड़ी बात
 नहीं कहना चाहता हू, सिर्फ दो सवाल पूछना
 चाहता हूँ। पहला—जब संत फ्राइसिह
 ने बल रखा हुआ था और बल करने की
 बन्धी थी, तब बल सरकार हुकम सिह

उसके पास बने थे, उस समय क्या कोई
 बिरवान उन को हुकम सिह जो की भारत
 प्राइवेटली बिलाया गया था या नहीं बिलाया
 गया था? इस समय जब कि सारे तब्य
 प्रापके सामने था पये हैं, शान्ति से काम होना
 चाहिए तथा कोई नम्बे चोड़े आयोग को
 बठाने की उकलत नहीं है।

एक मेरा सुझाव है जिस पर मानवीय
 गृह मंत्री भी विचार करें कि इस मामले का
 टास से फैसला कर दिया जाय कि यह
 किडर जाय।

18 क्षम.

श्री राज सिन्धन (हुजियारपुर): मैं
 होम मिनिस्टर साहब से बार सवाल
 पूछना चाहता हू और धारा रखता हूँ कि
 उनका जबाब देते हुए वे उसको पूरी तरह से
 बनेरिफाई करेगे।

1956 में स्टेट्स रिफार्मिनिसेशन के
 बाद पंजाब में भाषा के आधार पर जो
 फैसला हुआ था, उस के मुताबिक जो रिज-
 नन कम्युना और जो रिजलन
 कमेटीज बनी थी और जिस पर
 पंजाब के हिन्दू और सिख रिजेनेस्टिबल
 और दूसरे संकल्प के तयाम रिजेनेस्टिबल
 के दस्तखत हुए थे और 1956 में होम
 मिनिस्ट्री ने जो नोटिफिकेशन
 जारी किया था, उसके अन्तर जहाँ तक
 खरड़ तहसील और चण्डीगढ़ का टाल्नुक
 है किस रिजम में रखा गया था? भाषा
 के आधार पर चण्डीगढ़ और खरड़ का
 फैसला करते बल प्राया उस आधार को
 मनबूदेबर भाषा जावेना या नहीं?

दूसरा प्रश्न, जब संत फ्राइसिह जी
 ने बल रखा था, उस समय भी काशी
 प्रखारों में निकला था और सभी तक
 भी लोगों के दिनों में हाउट्स हैं—यह
 पूछना चाहता हूँ कि भाषा संत फ्राइसिह का
 डाइरेक्टरी, वा इनडाइरेक्टरी, सरकार
 हुकम सिह को डाइरेक्टरी वा अ-

डाइरेक्टली या उस वक्त पालियामेंट के पंजाब के जो रिप्रजेंटेटिव्स थे, उन को डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली किसी तरह का कोई विश्वास दिलाया गया था या नहीं दिलाया गया था, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिये।

तीसरी बात, पिछले जनरल इलेक्शन के पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर हरियाना और चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश की आपके साथ जो मीटिंग हुई थी, आया उसके साथ-साथ उन तीनों प्रान्तों के चीफ सैक्रेटरीज की भी कोई मीटिंग हुई थी और क्या उस में कुछ ऐसा कहा गया था कि जहां तक प्राइम मिनिस्टर को आरबिट्रेटर मुकर्रर करने का सवाल है और जब कि एक चीफ मिनिस्टर की एक राय है, दूसरे चीफ मिनिस्टर की दूसरी राय है, आया इन चीफ सैक्रेटरीज ने लिख कर कुछ दिया था या नहीं। आया इन तीनों गवर्नमेंट्स से कुछ कारस-पोन्डेन्स हुई थी और अगर हुई थी तो उसके क्या निर्णय निकले, इन पर आप रोशनी डालें।

चौथी बात, चाइनीज एप्रेशन के बाद चण्डीगढ़, जंसा कि होम मिनिस्टर को मालूम है, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक सप्लाइ लाइन बन गया है। आया चण्डीगढ़ का फंसला करते वक्त और आज हिन्दुस्तान की जो इन्टरनल सिचुएशन हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए फंसला किया जाएगा और कब तक और किस तरह से फंसला करेंगे।

Mr. Deputy-Speaker: There is a procedure laid down. Unless he writes to me in advance, no questions can be asked now. He may please sit down.

Shri Sonavane (Pandharpur): The provision is only half an hour and that time has already been exceeded.

Mr. Deputy-Speaker: That is all right.

The Home Minister.

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): It has been suggested that I could reply in Hindi. I sometimes speak in Hindi. I would have loved to speak in Hindi, but this is an important statement and, therefore, I do not want to commit any mistake. I would, therefore, speak in English.

I am very glad that this discussion has given me an opportunity to put the facts before this hon. House in the proper perspective, because a lot of things have been said and have appeared in print which sometimes mislead the people. Some people have got a very good knack of misleading themselves. So, I think, this gives me a very good opportunity to put the whole facts, as they happened in the last few months.

It is a well-known fact, it is a fact of history, that the Shah Commission recommended inclusion of Chandigarh in Haryana, but the Government in its wisdom decided that it should be kept as a Union Territory and the Parliament approved the decision and put its seal on that decision.

Later on, this question arose because of the threat of self-immolation by Sant Fateh Singh. I would like to remind this hon. House by quoting my own statement or mentioning my statement which I made in both the Houses on the 8th December, 1966, wherein I stated:

"The Government would be unable to accept any claim for readjustment of the reorganized territories unless all the parties concerned evolved a mutually agreed solution."

That was our basis. At the same time, there was the question of common links of Governor and High Court

(Shri Y. B. Chavan)

and at that time we also said that, if either of the Government made any recommendation about those common links, certainly the Government would act on that.

But the question of the adjustment of territories including Chandigarh was a question which could be reconsidered or reviewed only if there is a mutually agreed and evolved procedure and methods for it. It was on that basis, when the fast was on, that discussions took place between us and the then two Chief Ministers of Punjab and Haryana. The discussions were going on for some time, but ultimately both Chief Ministers agreed that they would be willing to accept the arbitration of the Prime Minister. After some hesitation, the Prime Minister accepted this offer of both the Chief Ministers, which was conveyed to Sant Fateh Singh that very day through the then Speaker Sardar Hukam Singh.

These are the facts. In this connection, some Members have raised the question whether the Chief Ministers had consulted their Cabinets or their parties. This question does not arise, really speaking. When a Chief Minister in a serious official discussion with the Central Government makes a statement, we do not put in the condition 'Bring the consent of your party or your Cabinet'. When he says a thing, he says it. When I am saying certain things here, I am committed, and our Government is committed to this thing, and you do not ask me the question whether I am saying this with the approval of the Cabinet or of the Prime Minister. It is a presumption that when a Minister says something in his official capacity, it commits the Government. So, those two Chief Ministers agreed to this thing, and it was on that basis that it was conveyed to Sant Fateh Singh that the Prime Minister would be willing to work as an arbitrator.

Let me make it absolutely and categorically clear that at no time, through

nobody, directly or indirectly, was any assurance given or conveyed to Sant Fateh Singh or to anybody else, either through Sardar Hukam Singh or anybody else, that Chandigarh would be given to Punjab. If would be an absolutely absurd proposition to think that when one accepts to arbitrate, he at the same time gives an impression that it is being conceded to one party. If Sant Fateh Singh still believes in this thing, either he has got infinite capacity for self-deception or he does not understand things. That is all that I can say. I cannot say anything else.

Shri George Fernandes had raised a very legitimate question because some news had appeared in the press. Sant Fateh Singh did meet the Prime Minister, and again the Prime Minister has categorically made it clear that at no time had she given any assurance; when she has agreed to become the arbitrator, it means that she is willing to consider this question on merits with open mind. So, I would like to make it clear that any news propoganda or any statement that Sant Fateh Singh possibly may be making to save his own image with his own people possibly should not be believed in in this matter particularly: that should be absolutely clear.

Coming back to the question of arbitration, our position is that we have agreed or the Prime Minister has agreed to arbitrate if both the parties agree to arbitration and accept to abide by the arbitration. That is the basis of arbitration. Otherwise, it is no arbitration at all. But the fact is that one of the Chief Ministers, namely the Chief Minister of Haryana has taken a different position now. His position is that he is not agreeable to the arbitration, not only of the Prime Minister but to any arbitration as such. Here, let me say one thing, though it is not connected with this half-an-hour discussion, because this is not the occasion when I should make that point but rather in the course of my

reply to the discussion on the Demands of my Ministry, because it was in the course of that discussion that this point had been made. Shri A. B. Vajpayee had said that I was angry with Rao Birendra Singh because he did not accept the arbitration of the Prime Minister. It is an absolutely absurd suggestion to make. I can assure him, and if any assurance is required, I can assure the Chief Minister of Haryana that there is no question of my being angry with him over what position he takes. As to what decision he takes, it is a matter for him. Whether it is right or wrong or justified or not, it is for him to say. There is no question of my being angry with anybody.

Our position is this. The Prime Minister has agreed that she would be willing to arbitrate even now, provided the parties agreed to have her as the arbitrator and to abide by the arbitrator's award. That is the position.

I think it is much better that I take this opportunity to explain what we propose to do. The position today is that the Punjab Government have said that they are willing to accept arbitration. That means the Punjab Government have the support of Sant Fateh Singh. He has agreed that whatever the decision of the Prime Minister as arbitrator, he is willing to accept it. There is no question of somebody having given an assurance in advance and therefore they have agreed to arbitration.

Shri D. C. Sharma: That is the impression there.

Shri Y. B. Chavan: It is a wrong impression. Let him please help me correct it.

Now Rao Birender Singh, Chief Minister of Haryana, has sent me a letter saying that he is not willing to agree to arbitration. He has given certain reasons for this. It is the

same as some people's attitude, i.e. they are presuming that the arbitration is going to be in favour of Punjab; that means, that if it does not go in their favour, they may not accept it. That is one reason given. The other reason he has given is that it is not a commitment as far as the Haryana Government are concerned. At the same time, he has made a suggestion as an alternative for another Commission which may be appointed to go into the entire question of claims and counter-claims including Chandigarh. That means that there is some hope, that he is prepared for a review of the question of Chandigarh. That is how I look at it. I propose to discuss this matter further with him including the question of arbitration. I hope to succeed. If I do not succeed—there is a possibility that I may not succeed—it will be a matter for Government to consider and examine further. At this moment, there is no question of further consideration.

One more point. Shri Gupta said that wherever Chandigarh is he is very happy about it. This is the first time that I see a party taking the attitude of a sanyasi. But it is not so simple as that.

Shri D. C. Sharma: One of his partymen wants Chandigarh to remain as it is.

Shri Y. B. Chavan: Our Government's or Party's stand is clear, that if both parties agree to accept and abide by the arbitration of the Prime Minister, the matter can be settled that way. But here is a very interesting situation. The Jan Sangh in Punjab says, 'Let it go to Punjab', the Jan Sangh in Haryana says 'Let it go to Haryana' and the Jan Sangh representative of Chandigarh says 'Let it remain where it is'.

Shri Kanwar Lal Gupta: What is the position of the Congress Party? Is it not the same?

Shri Y. B. Chavan: This reminds me of a very interesting proverb I came across when I was learning Hindi;

'Ganga gaye Ganga Das, Yamuna gaye Yamuna Das'—and Chandigarh gaye Chandi Das!

Shri Kanwar Lal Gupta: What is the position of the Congress?

Shri Y. B. Chavan: My last point is concerning the last question put by Shri Ram Kishen. He said that while considering the question of Chandigarh, the question of the security of India should be considered. Perso-

nally, I do not think the suggestion very good and worthy. Wherever Chandigarh is, it will be safe and it will be in the interest of the security of India. I have no doubt about it.

Shri Randhir Singh: What about the Shah Commission Report? Is he prepared to reconsider the decision on it?

Shri Y. B. Chavan: I do not want to add anything to what I have said.

18.14 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, July 6, 1967/Asadha 15, 1889 (Saka).